न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 800/2026

23.07.2026

आवेदक **मुन्ना यादव उर्फ विकास रंजन** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **खड़गपुर थाना काण्ड संख्या 161/2026** अन्तर्गत **धारा 303 (2), बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और अपमान का डर है, इसलिए वह अग्रिम जमानत के लिए यह जमानत याचिका दायर कर रहा है। प्रमोद यादव ने हवेली, खड़गपुर पुलिस स्टेशन के कार्यालय में एक लिखित आवेदन दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दिनांक 09.05.2026 को लगभग रात 10:00 बजे उन्होंने अपना ट्रैक्टर पुल पर अपने घर के सामने खड़ा किया और रात 09:00 बजे तक उनका ट्रैक्टर वहीं खड़ा रहा और वह अपने घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह 4:00 बजे जब वह पुल पर आया तो उसका ट्रैक्टर वहां नहीं था। उसने प्राथमिकी में ट्रैक्टर का विवरण पहले ही दे दिया था। तलाशी के बाद भी उसका ट्रैक्टर नही मिला। तब उसने एक लिखित दर्ज कराया और खड़गपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 303 (2) के तहत मामला संख्या 161/2026 दर्ज की गई। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक किसान और ट्रैक्टर मालिक है और लंबे समय से उसका इस मामले में कथित चोरी हुए ट्रैक्टर से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विरूद्ध धारा 303(2) बी0एन0एस0 लागू नहीं होती है। आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और उसे सह–अभियुक्त राकेश कुमार के पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। इस मामले से संबंधित पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटा रही है। आवेदक के कब्जे से कोई भी चुराई गई वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आवेदक धारा 482 सीआरपीसी0 के तहत निर्धारित सभी नियमों और शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति है और उसके भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश
व्यवहार न्यायालय,
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 800/
जमानत आदेश दिनांक 23.07.

लगातार

23.07.2026

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि इस केस में अंतर्गत धारा 303 (2) के तहत अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभियुक्त राकेश यादव के घर के सामने उक्त टैक्टर खड़ा था, जिसमें संस्वीकृति बयान में आवेदक अभियुक्त का नाम लिया है, जिसके द्वारा अभियुक्त राकेश यादव को टैक्टर बेचने की बात कही गई है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और केवल संस्वीकृति बयान के आधार पर उसका नाम आया है। अभियुक्त राकेश यादव की जमानत दिनांक 12.06.2026 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम के न्यायालय से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाना न्यायालय उचित समझती है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदकगण अभियुक्त को मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित निम्न शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. **एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।**
2. **शपथपत्र दाखिल करेंगे, जिसमें धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो का पालन करेंगें तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे। यदि लगातार दो तिथियो तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका अभियोजन के आवेदन पर उनका बंधपत्र खंडित किया जा सकता है। आवेदक अभियुक्त आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।**
3. **इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर